श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी R.A.S.
कैम्प कोर्ट जागसा।

राजस्व अपील सं. 07/2015

अपीलान्ट बनाम उत्तरदातागण

उगम कंवर W/o कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी कारटिया तहसील चौहटन पुत्री स्व. श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी जागसा तहसील पचपदरा

1. सरपंच ग्राम पंचायत, जागसा
2. राम कंवर पुत्री तेजसिंह जी जाति राजपूत निवासी जागसा हाल पति जबरसिंह जाति राजपूत निवासी कारटिया
3. शैतानसिंह पुत्र जबरसिंह
4. मालसिंह पुत्र जबरसिंह
5. झुंझारसिंह पुत्र जबरसिंह
6. देश कंवर बेवा जबरसिंह
7. मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
8. सवाईसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
9. परबतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
10. सरे कंवर बेवा अर्जुनसिंह
11. जेतसिंह पुत्र खेंगारसिंह
12. गेरो देवी W/o भगवाना पुत्री [illegible] राम जाति कलबी
13. [illegible] पुत्र गुणेशाराम जाति कलबी
14. खुशालाराम पुत्र रणछोड़राम जाति कलबी नि. जागसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

15. जीवनेश्वर केवा पदमसिंह राजपूत
निवासी बाड़मेर आगोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act. विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत जागसा के द्वारा नामान्तरकरण नं. 1402 दिनाँक 02.06.1997 ग्राम जागसा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

आदेश दिनाँक 02.11.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेसपोन्डेन्ट नं.1 ग्राम पंचायत जागसा के सरपंच द्वारा खेत ख.नं. 897 रकबा 33.16 बीघा, ख.नं. 953 रकबा 6.07 बीघा, ख.नं. 587 रकबा 6.13 बीघा, ख.नं. 678/1487 रकबा 13.02 बीघा कुल रकबा 59.18 बीघा एवं खसरा नम्बर 261 रकबा 12.05 बीघा सरहद मौजा जागसा व सुरसिंह का टांका तहसील पचपदरा का नामान्तरकरण अपीलार्थी नं. 11 जेठसिंह के नाम नामान्तरकरण सं. 1402 दिनांक 02.06.1997 के द्वारा स्वीकृत करने में कानून एवं न्याय की दृष्टि से पारित करने में भारी भूल की है।

माननीय राज० उच्च [illegible] की खण्डपीठ द्वारा कुन्दनाराम बनाम बोर्ड ऑफ [illegible] SPL अपील सं. 165/1987 RRD 2005 पेज नं. [illegible] में अभिनिर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच को धारा 135 260(1)(b) RLR Act. के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करने के

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested

जो अधिकार दिये गये है, वे अवैध एवं अनाधिकृत है।

स्व. तेजसिंह की दो संतान अपीलान्ट उगमकंवर व रेस्पोडेन्ट सं. 2 रामकंवर जायन्दा पुत्रिया है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरात की कृषिभूमि स्व. तेजसिंह की सम्पत्ति है। उक्त कृषि भूमि में स्व. विजय कंवर W/o स्व. तेजसिंह के फौत होने पर जायन्दा पुत्रियों के नाम दर्ज किये जाने थे. उक्त नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 11 ने अपने आपको स्व. तेजसिंह का जायन्दा एवं गोदपुत्र होने का कथन कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाना जो गलत एवं अवैध है। जबकि तेजसिंह व विजय कंवर के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, न ही तेजसिंह व विजय कंवर ने कोई पुत्र गोद लिया।

अन्त में निवेदन कि अपील धारा 5 परिसीमा का प्रार्थना पत्र साथ में पेश किया [illegible] तथापि अवैध एवं प्रारम्भ [illegible] आदेश को किसी भी समय अपील के जरिये निरस्त किया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1402 दि. 02-06-1997

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

को निरस्त फरमाया जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण भरे जाने के आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन के जारी किये गये।

उत्तरदाता सं. 12 ता 14 की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र का पेश कर निवेदन किया गया कि अपील के साथ प्रार्थना-पत्र का पद सं. 1, 2 गलत होने से अस्वीकार किया गया, गलत तथ्यों की आधारहीन अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि अपीलान्ट व उत्तरदाता सं. 2 स्वर्गीय तेजसिंह की जायज पुत्रियां है, जिनके हक-हकूक खातेदारी राईट से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1402 के कॉलम सं. 9 में जेतसिंह गोरधपुत्र [illegible] तथा कॉलम सं. 14 में हनुमा[illegible] पुत्र होना बताकर नामान्तरकरण भरा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1402 के कॉलम सं. 9 व 14 में विरोधाभास होने गोदपुत्र व पुत्र होने के आधार पर ग्राम पंचायत के द्वारा आदेश पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है, अपीलान्ट को न्याय से महरूम नहीं रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर मौजा जागसा के अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1402 पर पारित ग्राम पंचायत जागसा के द्वारा आदेश को अपास्त किया जाता है।

तहसीलदार, पंचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि स्व. तेजसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह के विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करें।

निर्णय आज दि 02.1[illegible]20[illegible] को प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] के मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:49 IST
Reason: SelfAttested